

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी (स्वशासी संस्था)
अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2021/ 7866

जबलपुर, दिनांक- 12/08/2021

'आदेश'

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 122-27/स्था/अराज/2020 भोपाल दिनांक 17/09/2020 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से भर्ती परीक्षा परीक्षा परिणाम उपरांत प्राप्त प्रवीण्य सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन उपरांत योग्य पाये जाने पर **स्टाफ नर्स** के पद पर संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 932/स्था/अराज/संचिशि/2019, भोपाल दिनांक 24/08/2019 के तहत प्रथम तीन माह हेतु एक निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। 03 माह पश्चात कार्यरत स्टाफ नर्स की परीक्षा ली जावेगी, एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही नियुक्त स्टाफ नर्स को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सातवें वेतनमान के लेवल-7 में न्यूनतम वेतनमान 28700/- का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में प्रदान करते हुए स्वशासी संस्था के अंतर्गत स्वशासी संवर्धन एवं संविलयन नियम 1998 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम-2018 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कैंसर चिकित्सालय जबलपुर की स्थापना में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

(स्टाफ नर्स) अनुसूचित जनजाति:-

S.NO.	NAME	FATHER/ HUSBAND NAME	DOB	MARKS
1.	ELIZABETH KUMHARE	DEVENDRA S KUMHARE	27-08-1995	58
2.	SHIVANI	PRADEEP UIKEY	3/17/1996	50
3.	ANKITA DAVID	NAVEEN DAVID	5/22/1996	50
4.	KIRAN VARKADE	BASANT VARKADE	2/23/1998	50
5.	TRIPTI KUMRE	HOLUSINGH KUMRE	8/17/1991	49
6.	SEEMA KHODE	JAGDISH KHODE	2/1/1993	49
7.	PRIYANKA ADIWASI	RAM BHUVAN ADIWASI	10/30/1993	49
8.	ARCHANA KHARAT	KHAJLA KHARAT	3/13/1994	49
9.	NANDINI PARTEY	SANTOSH PRADHAN	6/18/1994	49

(स्टाफ नर्स) (EWS):-

S.NO.	NAME	FATHER/ HUSBAND NAME	DOB	MARKS
1.	POONAM DUBEY	RAMNARESH DUBEY	9/27/1996	54
2.	ARCHITA MISHRA	NARAYAN DAS MISHRA	12/16/1997	54
3.	PURNIMA DWIVEDI	GOVIND PRASAD DWIVEDI	8/10/1991	53
4.	KAVITA	DAYASAGAR DWIVEDI	11/29/1993	53
5.	BHAWNA MISHRA	NARESH KUMAR MISHRA	7/5/1995	53
6.	SHWETA JOSHI	AJAY JOSHI	3/26/1985	52
7.	POOJA DWIVEDI	JATASHANKAR DWIVEDI	1/2/1992	52
8.	PRIYA GUPTA	AYUSH GUPTA	10/1/1993	52
9.	PURNIMA SHUKLA	ASHOK SHUKLA	10/14/1994	52
10.	VEENA NAIR	VIJAYAN NAIR	3/5/1986	51

कृ.पृ.उ.

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है।


1. नियुक्त कर्मचारी को संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
2. नियुक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के 07 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 20/08/2021 तक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. परिवीक्षा अवधि के दौरान त्याग-पत्र हेतु 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर राशि नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चुकानी होगी। यह राशि संबंधित से भू-राजस्व की वकाया राशिकी भांति वसूली योग्य होगी।
4. इस नियुक्ति में SC/ST/OBC के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
5. आपकी नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है।
6. इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
7. मादक एवं पेय उत्तेजक पदार्थ का सेवन न कर सकेंगे। यदि इस प्रकार सेवन करते हुए पाये गये तो म.प्र. सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत कर दिया जावेगा।
8. नियुक्त कर्मचारी को एक माह के भीतर पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जावेगा। पुलिस सत्यापन में या किसी अन्य प्रकार की जांच में दोषी पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त की जावेगी।
9. बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
10. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीति अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग पूर्णतः वर्जित होगा।
11. म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3597/2009/दो/सी-1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
12. नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन.पी.एस.की नियमानुसार पात्रता होगी।
13. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी। चूंकि वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अतः माननीय न्यायालय का अंतिम आदेश ही सर्वोमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. संभागायुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर ।
3. जिलाध्यक्ष, जिला-जबलपुर की ओर ।
4. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एम.पी.ऑनलाईन भोपाल की ओर।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर ।
6. अधीक्षक कैंसर चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर ।
7. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर ।
8. मैट्रन द्वारा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर ।
9. स्थानीय लेखा शाखा की ओर ।
10. श्री/श्रीमति/कु.....

.....की ओर प्रेषित कर लेख है कि 07 दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)